वास्ते जवाब

22/8/2017
वकील उभयपक्ष हाजिर / मा. डी. ओ. साहब
दौरे पर / दीपा. क्राय / अवकाश है। पत्रावली
दिनांक 6/12/2017 को पेश हो।
वास्ते जवाब
SDO सा की आज्ञा से

6.12.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। जवाब हेतु अवसर चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाता है वास्ते जवाब दिनांक 8/3/2018 को पेश हो। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ (राज०)
8.3.18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वास्ते जवाब अन्तिम अवसर दिया जाता है दिनांक 21-6-18 को पेश हो। (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ (राज०)
21.6.18	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प पारसोली में पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील अप्रार्थी ने जवाब ता-प. प्रस्तुत या कर लिये कि बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाता। बहस सुनी गई। पत्रावली (अभिषेक गोयल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ (राज०)

Scanned by CamScanner

बनाम

मुकदमा .... नं. 140 सन् 15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अवलोकन। संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि मौजा पारमा प०ह० पारमा तहसील भूपालसागर की आराजी 4004, 4005, 5064, 4012, 4898 4903, 4907 स्थित है। उक्त आराजीयात हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1, 2 के संयुक्त खातेदारी की होकर कब्जे काश्त की है व लगान संयुक्त अदा कराते आ रहे है। यह कि उक्त आराजीयात देव किशन जी के समय की है जो हमारे पिताजी थे जो गुजर गये है और देव किशन जी की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात का लच्छीराम के पक्ष मे खाता खुलाया गलत है व लच्छीराम की मृत्यु हो गई है व अप्रार्थी माधवलाल, रामेश्वरलाल अकेले अपने नाम पर उक्त आराजीयात को कराने को आमादा है जो गलत है चूंकि लच्छीराम, नाथुलाल व छोगालाल तीनो सगे भाई मे लच्छीराम जी दि. 24.10.13 को गुजर गये है। अप्रार्थीगण के मन मे बदनियती लालच आ जाने से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 उक्त आराजीयात को अपने नाम पर कराने पर आमादा है जबकि उक्त आराजीयात हम प्रार्थीगण की मौरूसी है व इसी अनुसार कब्जा होकर काश्त कर रहे है	

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उक्त मौरूसी आराजीयात पर हमारे पिता जी के समय से ही हम काबिज रह कर काश्त कर रहे हैं व लच्छीराम जी के गुजरने के बाद लच्छीराम के पुत्रों ने अपने नाम पर उक्त आराजीयात को कराने पर आमदा है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है व हम प्रार्थीगण के अलग खाते 2/3 हिस्सा दर्ज कराया जावे। अप्रार्थी रहन बय बख्शीश, मुन्तकिल करने पर आमदा है जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना आवश्यक है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा नकल में हाल जमाबन्दी लगाई गई है इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लगाये गये है जिससे उक्त आराजियात खातेदारान जी के समय की है तथा खातेदारान जी से लच्छीराम को प्राप्त होने सम्बन्धी दस्तावेज भी संलग्न नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा न ही सजरा पेश किया है तथा न ही कब्जे की नकलें पेश की है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।
	(... गोयल) ...सेक्टर एवं ...गर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुक्म या कार्यवा...

Scanned by CamScanner